संख्या– 09 / 2018 / 1092 / उन्नीस–2–2018–1084 / 85

प्रेषक,

डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांकः 27 सितम्बर, 2018

विषयः–राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस, 02 अक्टूबर, 2018 को 'गांधी जयन्ती समारोह'' मनाये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को नई दिशा और नई गति देने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अप्रतिम योगदान है। सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों में आजादी की लौ को प्रज्ज्वलित किया। देश की राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता के माध्यम से महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त बनाने में अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 02 अक्टूबर हमारे देश के उन सहस्त्रों ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का बेहतर अवसर है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बलिबेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह दिन हम सबको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों, सिद्धान्तों व उनके सद्विचारों को अपनाने के साथ ही उनके पद्चिन्हों पर चलने का सुअवसर प्रदान करता है।

2– उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर, 2018 को गांधी जयन्ती समारोह सम्मानपूर्वक आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक रूपरेखा नीचे दी जा रही है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें यथोचित परिवर्तन / परिवर्द्धन करने के लिए आप सक्षम हैं और ऐसे अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित कर सकते हैं जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हों। प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार हैंः–

(क) सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये।

(ख) सभी कार्यालयों, विद्यालयों और दूसरी संस्थाओं के किसी बड़े कक्ष या हाल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा प्रातः 8:00 बजे महात्मा गांधी के एक बड़े चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाये और उसके बाद गांधी जी के जीवन संघर्ष, उनकी देश सेवा, उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला जाये। विशेष रूप से निर्बलों एवं कमजोरों के कल्याण सम्बन्धी ''अन्त्योदय'' की उनकी अवधारणा, भावनात्मक

एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सम्बन्ध में उनके विचारों का संक्षेप में परिचय दिया जाये।

(ग) स्कूलों और कालेजों में गांधीवादी जीवन–दृष्टि का प्रचार तथा गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों की वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं गोष्ठी आयोजित की जाये, जिसमें जातिगत भेद–भाव से ऊपर उठकर समाज में समता और समरसता लाने पर बल दिया जाये। मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा निर्बलों के उत्पीड़न को समाप्त करने और सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन की प्रतिबद्धता से जन–साधारण को अवगत कराया जाये।

(घ) महिलाओं की उन्नति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये मार्ग का अनुकरण करने, बालिका–शिक्षा के प्रसार, दहेज–प्रथा की समाप्ति तथा महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने और सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जन–सामान्य, विशेषकर महिलाओं को भिज्ञ कराने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जाये। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए ''जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम–1950'' के प्राविधानों में संशोधन करके अविवाहित पुत्रियों को भी कृषि भूमि पर वारिसाना हक प्रदान किया गया है। अविवाहित पुत्री के विवाह कर लेने की स्थिति में भूमि पर मिला अधिकार उसके पति को न जाकर भूमिधर के परिवार के निकटतम उत्तराधिकारी को पूर्ववत् व्यवस्थाओं के अधीन प्राप्त हो जायेगा।

(ङ) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के अनुसार गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामवासियों में सच्चरित्रता, सादगी तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न की जाये। इस दिशा में शासन की पारदर्शी नीति और इस सम्बन्ध में किये गये अभिनव एवं सार्थक प्रयासों से भी जन साधारण को अवगत कराया जाये।

3– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाये गये स्वाधीनता आन्दोलन, उत्तर प्रदेश में उसके व्यापक प्रभाव, उनके महान व्यक्तित्व द्वारा किये गये रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वदेशी आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, आदि पर प्रकाश डाला जाये।

4– 'सादा जीवन उच्च विचार', मितव्ययिता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म सम्भाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी जाये। उन्हें यह भी बताया जाये कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहते हुए राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना उनका पुनीत कर्तव्य है, जिसका संकल्प आज के दिन दोहराया जाना चाहिए।

5– 'पंचायती राज' को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मानते थे। इन संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वावलम्बन का सपना साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों से जन–साधारण को अवगत कराते हुए बताया जाये कि पंचायतें ग्रामीण विकास तथा 'ग्राम–स्वराज्य' के नये मार्ग

प्रशस्त करेंगी। अब गांवों के विकास कार्यक्रमों में गांवों के नागरिकों, मुख्यतः महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

6– पंचायतों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों में आस्था रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही समरसता, सद्भाव और सहयोग पर आधारित आदर्श समाज की संरचना की आवश्यकता को रेखांकित किया जाये। धर्म, जाति, रंग आदि सभी भेदभावों को मिटाकर विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों में पारस्परिक सद्भाव, एकता तथा सहयोग बढ़ाने वाली चेतना विकसित करने के लिए जन–सहभागिता के आधार पर उचित वातावरण तैयार करने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।

7– विकास सम्बन्धी शासन की प्राथमिकताओं से जन–मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये। अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त, वातावरण सृजित करने के साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कानून का राज स्थापित करने तथा संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाये।

8– प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य है – लोक संकल्प पत्र के अनुसार जन आकाक्षांओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास। राज्य सरकार ''सबका साथ–सबका विकास'' के आधार पर सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण़ विकास हेतु कृत संकल्प है।

वर्तमान सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा उठाये गये कदमों से स्पष्ट है कि सरकार ने प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। सरकार ''सबका साथ–सबका विकास'' के संकल्प के साथ सभी के हित से जुड़े निर्णय ले रही है, जिससे विकास के नये रास्ते खुलेंगे और प्रदेश का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका **'संलग्न परिशिष्ट'** में उल्लेख किया गया है, के संबंध में जनसाधारण को अवगत कराया जाय।

यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाये ओर लोगों को प्रेरित तथा जागरूक किया जाए।

संलग्नकः–परिशिष्ट

(डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या–09/2018/1092(1)/उन्नीस–2–2018–1084/85 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रदेश के समस्त मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्री के निजी सचिवों को मा0 उपमुख्यमंत्री/मा0 मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमः–

1. जनसमस्या निवारण :–

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित ''जनता दर्शन'' में प्रदेश के कोने–कोने से आये फरियादियों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत कुल 8697189 प्राप्त संदर्भों में से 8122743 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया। तहसीलों में '**सम्पूर्ण समाधान दिवस**' का नियमित रुप से आयोजन करते हुए अब तक प्राप्त 427990 शिकायतों में 389366 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करते हुए शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके साथ ही आम जनता एवं अधिकारियों के मध्य सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रतिदिन जनसमस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। सूखा, बाढ़ आदि दैवीय आपदाओं के पीड़ित परिवारों को 46536.21 लाख रुपयों की सहायता प्रदान की गयी।

2. आस्था को नमन :–

(1) कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि 50 हजार रु0 से बढ़ाकर 01 लाख रुपये प्रति यात्री की गई। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर/चार धाम यात्रियों की सुविधा हेतु 57.99 करोड़ रुपये से भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर।

(2) सिंधु दर्शन का अनुदान वितरण 10 हजार रुपया प्रति यात्री किया गया।

(3) जनपद वाराणसी में 12.10 करोड़ रुपये से वैदिक सांइस सेन्टर की स्थापना तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का 210 करोड़ रुपये से विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण की कार्यवाही प्रगति पर।

(4) जनमानस की सुविधा हेतु जनपद चित्रकूट, कामदगिरि परिक्रमा स्थल में 13.75 करोड़ रु0 व अयोध्या में 14.67 करोड़ रुपये से भजन स्थल का निर्माण किया जा रहा है।

(5) मगहर (संतकबीर नगर) में संतकबीर अकादमी का शिलान्यास।

(6) इमलिया कोडर (बलरामपुर) थारु जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु संग्रहालय निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर।

(7) गोरखपुर शहर में अत्याधुनिक प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर। जनपद मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना।

(8) अयोध्या (फैजाबाद) में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

3. कानून व्यवस्थाः–

(1) अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित कर कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई है। कानून व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

(2) अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और अपराधियों के बीच मध्य जुलाई, 2018 तक 2328 मुठभेड़ हुई, जिसमें 5563 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 580 अपराधी घायल हुए एवं 62 अपराधी मारे गए। गिरफ्तार अपराधियों में से 2043 अपराधी पुरस्कार घोषित थे, इनमें 207 के विरुद्ध एनएसए एवं 191 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही व 177.56 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की गई। 7290 अपराधियों ने स्वयं जमानत निरस्त करा कर न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

(3) अपराधों को शत–प्रतिशत दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहली बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एफआईआर काउन्टर खोले गए।

(4) महिलाओं को जागरुक करने एवं अपनी शिकायतें दर्ज कराने हेतु पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, इसमें 5632 स्कूल/कालेजों में 1043375 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है। एण्टी रोमियो अभियान चलाकर छात्राओं/महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है।

(5) आतंकवादी रोधक दस्ता (एटीएस) द्वारा 16 ऐसे व्यक्तियों/गिरोहों को गिरफ्तार किया गया जो आतंकवाद से जुड़े थे।

(6) स्पेशल टास्क फोर्स को अधिक मोबाइल बनाने की दृष्टि से 119 वाहनों के क्रय के लिए 3.2 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत। उ0प्र0 पुलिस बल में राइफल के स्थान पर इंसास रायफल उपलब्ध करायी गयी।

(7) सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा ''हेलमेट एवं सीटबेल्ट दिवस'' मनाया जा रहा है।

(8) प्रदेश में दैवीय एवं अन्य आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर **राज्य आपदा मोचन बल** का गठन किया गया।

(9) यूपी डायल–100 सेवा से कानून व्यवस्था बनाये रखने में प्रभावी सफलता।

(10) सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण।

(11) भू–माफिया अभियान के तहत मई, 2018 तक 2119 भू–माफिया को चिन्हित कर 2596 अभियोग पंजीकृत, 3111 की गिरफ्तारी व 9.79 करोड़ रु0 की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण। एन्टी भू माफिया अभियान के तहत 226941 शिकायतें पोर्टल पर दर्ज। इनके सापेक्ष 222917 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

4. उद्योगः–

(1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर बल। निवेश फ्रेण्डली हेतु 20 से अधिक नई नीतियां प्रख्यापित।

(2) निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से **उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018** का आयोजन किया गया। देश विदेश के शीर्ष निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपये के 1074 निवेश सम्बन्धी **एम0ओ0यू0** हस्ताक्षरित।

(3) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से प्रथम चरण में 60 हजार करोड़ की 81 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास।

(4) **इज आफ डूइंग बिजनेस** के तहत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान लागू। इसमें प्रदेश 92.87 प्रतिशत स्कोर के साथ निरन्तर अग्रसर। निवेश मित्र सिंगिल विण्डो **वेब पोर्टल** बनाया गया।

(5) बुन्देलखण्ड में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का निर्णय, 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश एवं 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

(6) **एक जनपद–एक उत्पाद** योजना द्वारा प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु प्रोजेक्ट की लागत का 6.25 लाख से 20 लाख रुपये तक की छूट।

(7) ओ0डी0ओ0पी0 समिट में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 4095 उद्यमियों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित।

(8) ई–मार्केटप्लेस (जेम) पर सर्वाधिक खरीददारी हेतु देश में उत्तर प्रदेश जेम टॉप बायर पुरस्कार से सम्मानित।

(9) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में **उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।**

(10) प्रदेश में पहली बार 21 से 23 जनवरी, 2019 को वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का होगा आयोजन।

5. खादी एवं ग्रामोद्योग विभागः–

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति लागू।

(2) पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत की दर से उत्पादन पर सहायता।

(3) उत्पादों की ई–मार्केटिंग से संबंधित संस्थाएं **खादी एवं ग्रामोद्योग व अमेज़न** के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। 12 खादी संस्थाओं के उत्पादन की ऑनलाइन मार्केटिंग का कार्य प्रारम्भ।

(4) स्थापित उद्योगों को नवीन तकनीक के साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रारम्भ।

(5) सोलर चर्खे से निर्मित वस्त्रों को खादी की मान्यता देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य।

(6) कुम्हारों को प्रोत्साहित करने के लिए **''माटी कला बोर्ड''** का गठन।

(7) सरकार द्वारा रोजगार की नयी पहल के तहत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

(8) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये की ऋण व्यवस्था।

6. सूचना प्रौद्योगिकीः–

(1) वर्तमान सरकार द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति–2017 तथा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति–2017 जारी।

(2) नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित।

(3) 150 करोड़ रुपये के निवेश एवं करीब 15 हजार रोजगार संभावनाओं युक्त मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) प्रदेश में स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 13 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत।

(5) शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू। शतप्रतिशत ई–टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में गुरूग्राम में आयोजित 'स्मार्ट सिटी समिट' में उत्तर प्रदेश पुरस्कृत। 206 शासकीय सेवायें जनसेवा केन्द्र /लोकवाणी केन्द्र/ई–सुविधा के माध्यम से अब तक 15.50 करोड़ आम जनमानस लाभान्वित।

(6) सचिवालय परिसर सहित शासकीय विभागों में ई–आफिस की व्यवस्था लागू।

(7) इन्वेस्टर्स समिट में इलेक्ट्रानिक तथा आईटी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित। इनके क्रियान्वयन पर 150000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। चीन, ताइवान, कोरिया देश की इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्षेत्र की विदेशी कम्पनियों ने प्रदेश में निवेश हेतु रुचि प्रदर्शित की।

7. वाणिज्य करः–

(1) जीएसटी रिटर्न के दाखिले में देश के बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का **स्थान प्रथम।**

(2) वर्ष 2018–19 में माह जून तक गत वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष 2450 करोड़ रुपये की अधिक का कर संग्रह।

(3) माह अगस्त, 2018 तक 8607 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के सापेक्ष अधिक राजस्व प्राप्त।

(4) करापवंचन रोकथाम हेतु नेशनल ई–वे बिल प्रथम चरण में ही उ0प्र0 पांच राज्यों के साथ देश का अग्रणी राज्य।

8. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसलेः–

(1) लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 86 लाख कृषकों का 36,000 करोड़ रुपये का **फसली ऋण मोचन** किया।

(2) कृषि निवेशों पर देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला **देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।** 23.29 लाख किसानों को 456 करोड़ रुपये के कृषि अनुदान का सीधे भुगतान।

(3) मण्डी समितियों में अब किसान ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होंगे। किसान अपना उत्पाद देश की किसी भी मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र।

(4) ''एक देश एक बाजार'' बनाने के लिए राज्य में यूनीफाईड लाइसेन्स की फीस को एक लाख रुपये से घटाकर रुपये 10 हजार करने का निर्णय।

(5) **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत रबी–2018 में 349.01 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की गयी। खरीफ–2018 में 27.82 लाख किसानों का फसल बीमा।

(6) **कृषकों की आय दोगुना** करने के क्रम में कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक अनूठी **द मिलियन फार्मर्स स्कूल** कार्यक्रम द्वारा 10 लाख से अधिक किसानों को कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी दी गयी। कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से आगामी 26 से 28 अक्टूबर, 2018 तक लखनऊ में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का आयोजन।

(7) देश का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र फिलीपीन्स की शाखा वाराणसी में स्थापित।

(8) 2.80 करोड़ किसानों को **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** वितरित।

(9) प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहनी एवं तिलहनी फसलों की 4700 मी0टन से अधिक सरकारी खरीद। प्रदेश में 15800 सोलर पम्प की स्थापना की जा रही है।

(10) अब तक किसानों को 52.19 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।

(11) वर्ष 2017–18 में 574.13 लाख मी0टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन।

9. गन्ना किसानों को सुविधाएं :–

(1) गन्ना किसानों को इस वर्ष अब तक 32940 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान। देश के कुल गन्ना उत्पादन में उ0प्र0 की 50 प्रतिशत की भागीदारी।

(2) प्रदेश में कुल 119 चीनी मिलों में इस वर्ष 1112.90 लाख मी0टन गन्ने की रिकार्ड पेराई।

(3) निगम क्षेत्र की दो बन्द चीनी मिलों– पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुंडेरवा (बस्ती) में 3500 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिलों में को–जेन तथा डिस्टलरी प्लाण्ट लगाकर पुनः चालू। मोहिद्दीनपुर–मेरठ एवं रमाला–बागपत चीनी मिल की पेराई क्षमता का विस्तार।

(4) प्रदेश के 28 लाख 63 हजार गन्ना किसानों को **एम किसान पोर्टल** से जोड़ा गया।

10. खाद्य एवं रसद विभाग –

(1) **मूल्य समर्थन योजना** के अन्तर्गत 1735 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए रबी विपणन वर्ष 2018–19 के दौरान गेहूँ खरीद के लिए 5500 क्रय केन्द्रों पर कुल 53 लाख मी0टन रिकार्ड गेहूँ खरीद। 1127195 किसानों को 9231.99 करोड़ रुपये का भुगतान। गत वर्ष 43 लाख मी0टन धान खरीद कर 492038 किसानों को 6663.33 करोड़ रुपये का भुगतान।

(2) **उज्ज्वला योजना** के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को 9145000 गैस कनेक्शन वितरित।

11. नगर विकास :–

(1) प्रदेश के 13 शहरों को **स्मार्ट सिटी** के रुप में चयनित करने के सापेक्ष 12 शहर चयनित।

(2) **प्रधानमंत्री आवास योजना**–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत शहरी क्षेत्र के 3.88 लाख से अधिक आवास विहीन लोगों के लिए आवास बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष 01 लाख आवास बनाते हुए **उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान**।

(3) मा0 मुख्यमंत्री नगरीय **अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना** के तहत शहरी क्षेत्रों में सीसी रोड/इंटरलाकिंग, नाली जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि मूलभूत सुविधाएं हेतु योजना संचालित।

(4) **अटल नवीकरण एवं शहरी रुपान्तरण मिशन (अमृत) योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित।

(5) अब तक अमृत निकायों में कुल 660686 एल0ई0डी0 लगाई जा चुकी है।

12. सिंचाई:–

(1) राज्य सरकार द्वारा पहली बार फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए ''हर खेत को पानी'' देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री कृषि फण्ड स्थापित।

(2) वर्ष 2018–19 में 50 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का लाभ देने का लक्ष्य। 5443 किमी0 नहरों की सिल्ट सफाई, 8800 टेल तक फीडिंग की गयी। रबी फसल में 41.36 लाख हे0 भूमि सिंचित।

(3) 523 तटबंधों की मरम्मत और 1300 कटाव निरोधक कार्य पूर्ण।

(4) सोन नदी पर निर्मित बाणसागर परियोजना को पूर्ण कर मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आच्छादित है। इस परियोजना से 1,70,000 किसान लाभान्वित होंगे।

(5) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत **''पर ड्राप–मोर क्राप''** में **ड्रिप एवं स्प्रिंकलर** सिंचाई हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 1.59 लाख किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण।

(6) लघु सिंचाई विभाग द्वारा इस वर्ष अब तक 29395 निःशुल्क बोरिंग, 153 गहरी बोरिंग, 461 मध्यम बोरिंग करते हुए सिंचन क्षमता में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

13. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण :–

(1) औद्यानिक विकास की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 4.73 लाख किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण।

(2) बस्ती में फल एवं कन्नौज में शाकभाजी के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन के उद्देश्य से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित किया गया।

(3) आलू उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु **बाजार हस्तक्षेप योजना लागू।**

14. अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–

(1) लखनऊ से गाजीपुर वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना का शिलान्यास।

(2) पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे को अयोध्या से जोड़ने हेतु एक लिंक मार्ग का निर्माण प्रस्तावित।

(3) यातायात को सुगम बनाने हेतु 10 दीर्घ सेतु, 5 उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण। इसके साथ ही 22 मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण।

(4) बुन्देलखण्ड विकास हेतु झांसी से जालौन–उरई–बेला होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे तक 06 लेन राष्ट्रीय राज मार्ग जिसकी लम्बाई 320 किमी0 आंकलित करते हुए लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की सहमति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

(5) झांसी –चित्रकूट–इलाहाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग, जिसकी लम्बाई 380 किमी0 को चार लेने में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

(6) गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर 'महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल' किए जाने का निर्णय लिया गया।

(7) आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल' करने का निर्णय लिया गया।

(8) मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर पं0 दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया।

15. ऊर्जा :–

(1) प्रदेश के सभी परिवारों को दिसम्बर, 2018 तक विद्युत सुलभ कराने के लिए **''पावर फॉर आल''** योजना संचालित।

(2) **सौभाग्य योजना** में 1.18 करोड़ विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 52.90 लाख से अधिक घरों को विद्युत कनेक्शन।

(3) पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं एवं 12वीं योजना) के अन्तर्गत सभी राजस्व गांव विद्युतीकृत। 68 हजार से अधिक मजरों का हुआ विद्युतीकरण।

(4) पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन योजना) में कृषि एवं गैर कृषि के अन्तर्गत 33/11 केवी के 238 नये उपकेन्द्रों का निर्माण, 441 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, 33केवी एवं 11केवी नई विद्युत लाइनों का निर्माण। उपभोक्ताओं को घर बैठे कनेक्शन लेने के लिए **ई–संयोजन मोबाइल एप लांच।**

(5) बिजली खपत कम करने के लिए **उजाला योजना** के तहत 3.4 करोड़ एल0ई0डी0 बल्बों का वितरण कर लगभग 900 मेगावाट बिजली की बचत। एल0ई0डी0 बल्ब वितरण में उत्तर प्रदेश देश में गुजरात के बाद दूसरे नम्बर पर।

(6) सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति जारी की गयी। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर शतप्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट।

(7) सौर और बायो ऊर्जा से सम्बन्धित 65 हजार करोड़ रुपये के 55 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।

(8) प्रदेश के निजी विकासकर्ताओं द्वारा 500 मेगावाट, झांसी में 20 मेगावाट, मथुरा में 5 मेगावाट क्षमता के यूटिलिटी स्केल की सौर पावर परियोजना स्थापित।

(9) रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट योजनान्तर्गत 52.7 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित।

(10) पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजनान्तर्गत 1571 मुख्य ग्रामीण बाजारों में 14000 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना। प्रदेश में 140 ग्राम सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत। कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को सिंचाई हेतु 5000 सोलर पम्प की स्थापना।

16. श्रम एवं सेवायोजन विभागः—

(1) बाल श्रम उन्मूलन हेतु **नया सवेरा योजना** प्रारम्भ। इसके अन्तर्गत 18376 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा गया।

(2) **कन्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना** के तहत बाल श्रमिकों को कार्यमुक्त कर 9200 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति।

(3) अटल पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था (60 वर्ष से अधिक) के दौरान असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन सहायता योजना लागू।

(4) कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक विकलांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता। अब तक 44,78,972 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण। 182206 निर्माण स्थलों का पंजीकरण।

(5) बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अब तक 867 रोजगार मेलों का आयोजन कर 101547 अभ्यर्थियों का चयन कर रोजगार दिया गया।

(6) दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में परिवार को 02 लाख रुपये की सहायता।

17. शिक्षा :—

(1) स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष 1.55 करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन।

(2) कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, स्कूल बैग तथा प्रथम बार स्वेटर एवं जूता, मोजा का वितरण। 1.78 करोड़ बच्चे मध्यान्ह भोजन योजना के तहत आच्छादित।

(3) कक्षा 01 से 08 तक की पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल संस्करण **ई—पोथी** का निर्माण कर वेबसाइट पर प्रदर्शित।

(4) 10वीं तथा 12वीं में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू। बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं

नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न। प्रथम बार परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था।

(5) प्रथम बार वर्ष 2018 के बोर्ड परीक्षाओं हेतु **आनलाइन केन्द्र** निर्धारण की व्यवस्था।

(6) पहली बार 146 मेधावी छात्र/छात्राओं को राज्य स्तर पर एक लाख रुपये की धनराशि, एक टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र से किये गये सम्मानित।

(7) प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उ0प्र0 स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक–2018 लागू।

(8) राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की गयी।

(9) रुपये 25 लाख की दर से पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना हेतु 3.50 करोड़ रुपये की धनराशि 14 राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित।

(10) उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए 07वें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू। प्रदेश में 46 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय। राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कैलेण्डर शासन स्तर से प्रथम बार निर्धारित।

18. समाज कल्याण :–

(1) वर्ष 2017–18 में पूर्वदशम के 416860 विद्यार्थियों को तथा दशमोत्तर के 1238139 विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की गयी।

(2) 102 पंडित दीन दयाल राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय अ0जा0/ज0जा0 छात्रों के लिए संचालित।

(3) वर्ष 2017–18 व 2018–19 में अ0जा0/ज0जा0 अत्याचार निवाराण एक्ट व पी0सी0आर0 एक्ट के तहत अत्याचार से प्रभावित लगभग 27021 परिवारों को आर्थिक सहायता सुलभ। अनुसूचित जाति के लगभग 56444 निर्धन/निराश्रित परिवारों को व सामान्य जाति के लगभग 15841 परिवारों को शादी हेतु अनुदान।

(4) पिछड़ा वर्ग के 2 लाख से कम वार्षिक आय के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।

(5) पिछड़े वर्ग के गरीब लाभार्थियों के लिए शादी अनुदान योजनान्तर्गत 200 करोड़ रु0 की व्यवस्था।

(6) दिव्यांगजन भरण–पोषण अनुदान 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया।

(7) विधवा पेंशन हेतु आयु सीमा की बाध्यता समाप्त की गयी।

(8) वृद्धावस्था पेंशन के तहत 3748321 पात्र वृद्धजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(9) मदरसों में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू।

(10) अल्पसंख्यक महिलाओं को बिना महरम हज पर जाने की सुविधा।

(11) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सुलभ कराने के लिए अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये की गई।

19. महिला कल्याण एवं बाल विकास :–

(1) वृंदावन में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 हजार बेड का आश्रय सदन बनाया गया।

(2) बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं को प्रोत्साहित करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए महिला बाइकर्स रैली का आयोजन।

(3) '181' महिला हेल्प लाइन व रेस्क्यू वैन की सेवा का विस्तार। हेल्प लाइन 06 सीटर से बढ़ाकर 30 सीटर तथा रेस्क्यू वैन की सेवा प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुरू।

(4) सभी निराश्रित महिलाओं, जिनके पति की मृत्यु हो गई है, उनको निराश्रित महिला पेंशन योजना से आच्छादित किया गया। इसमें लाभार्थियों की अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी गई हैं

(5) प्रदेश के 50 जनपदों में 159 **पालना शिशु स्वागत केन्द्र** खोले गए, शेष जनपदों में शिशु पालना खोलने की कार्यवाही प्रगति पर

(6) प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारत सरकार द्वारा **''वन स्टाप सेन्टर''** खोलने की स्वीकृति।

(7) प्रदेश के 40 जनपदों में शबरी योजना लागू। योजना के अन्तर्गत कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं उनके परिवारों को 412745 जॉब कार्ड, 800548 राशन कार्ड, 666641 शौचालय उपलब्ध कराये गये। पोषण अभियान का कन्वर्जेन्स प्लान समस्त 75 जनपदों में लागू।

20. परिवहन :–

(1) **निर्भया योजना**–महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 12500 बसों में पैनिक बटन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना कार्यवाही।

(2) प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में वाहन–4 एवं सारथी–4 साफ्टवेयर लागू होने से लोगों को ऑनलाइन आवेदन एवं फीस पेंमेट की सुविधा।

(3) मैन्युअल चालान व्यवस्था समाप्त कर ई–पेमेंट से जुर्माना भुगतान की सुविधा हेतु शत–प्रतिशत ई–चालान व्यवस्था लागू कर **उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य** बना।

(4) वर्ष 2019 के कुम्भ मेला में यात्रियों की सुविधा हेतु इलाहाबाद के समस्त बस स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण।

(5) **यात्री राहत योजना**– रोड़वेज बसों में यात्रियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50 हजार रुपये से 2.50 लाख रुपये तक की चिकित्सीय सहायता का प्राविधान।

(6) रोडवेज की बसों में डीजल चोरी रोकने के लिए 73 डिपो में ऑटोमेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू।

(7) बस सेवा से वंचित प्रदेश के 38,254 गांवों में से 9652 असेवित गांवों को बस सेवा से जोड़ा गया।

(8) प्रदेश के सभी संभागों में ऑन लाइन परमिट की शुरूआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश में दूसरा राज्य बना।

21. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :–

(1) आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत 1.18 करोड़ परिवारों (लगभग 06 करोड़ व्यक्तियों) को 05 लाख रुपये प्रति परिवार निःशुल्क बीमा सुविधा।

(2) प्रदेश में 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ। अब तक 45009 मरीज लाभान्वित। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा में अब तक कुल 2.71 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित।

(3) एसजीपीजीआई लखनऊ में नवीन अपेक्स ट्रामा सेन्टर प्रारम्भ।

(4) 05 जिला चिकित्सालयों का राजकीय मेडिकल कालेज के रूप में उच्चीकरण एवं 08 नये राजकीय मेडिकल कालेजों की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर।

(5) गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स के निर्माण का कार्य प्रगति पर।

(6) आयुष्मान भारत योजना में चरणबद्ध तरीके से 2329 उप केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है।

(7) सघन मिशन इन्द्रधनुष के तहत 18 से 22 जून , 2018 तक तृतीय चरण का अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 53446 बच्चों का टीकाकरण तथा 15072 गर्भवती माताओं को टी.टी. टीकाकरण से आच्छादित किया गया।

(8) प्रदेश के 38 जनपदों में 02 अप्रैल, 2018 से जे0ई0/ए0ई0एस0 टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत 01 से 15 वर्ष आयु के 3396330 बच्चों को जे0ई0/ए0ई0एस0 टीकाकरण।

(9) प्रदेश में 24 अप्रैल, 2017 से मिशन परिवार विकास योजना लागू।

(10) गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीरनगर के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में वर्तमान पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 में वेंटीलेटर युक्त बेड की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की गयी।

(11) **प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र योजना** के प्रथम चरण में 110 जन औषधि केन्द्रों की राजकीय चिकित्सालयों में स्थापना।

(12) **प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना** के तहत अब तक 823254 लाभार्थी हुए लाभान्वित।

(13) नवजात शिशुओं की उचित देखभाल हेतु **कंगारु मदर केयर योजना** प्रदेश के 43 जनपदों में, कुल 72 इकाइयां जिला महिला चिकित्सालय/सीएचसी स्तर पर क्रियाशील।

(14) ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रदेश के 74 जिलों में विशेष **सघन मिशन इन्द्रधनुष** अभियान चलाकर शत–प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण पूर्ण।

(15) **राष्ट्रीय आयुष मिशन** के अंतर्गत कौशाम्बी, सोनभद्र, जालौन, संतकबीरनगर, सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर, अमेठी, कानपुर देहात एवं बलिया में 50 बेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय खोलने की कार्यवाही प्रगति पर।

22. सड़क एवं यातायात योजना :–

(1) गरीब एवं किसान के उत्थान हेतु **सबका साथ–सबका विकास ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी के 1557 ग्रामों, 1851 राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कार्ययोजना प्रगति पर, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 914 ग्रामों के निर्माण की कार्ययोजना प्रगति पर।

(2) प्रतिभा शिक्षा एवं विकास का समावेश करते हुए प्रदेश में पहली बार हाईस्कूल एवं इंटरमीडियट के मेधावी छात्रों के निवास स्थल तक **डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम गौरव पथ** के रुप में 24 मार्ग पूर्ण 89 मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर।

(3) 26 तहसील मुख्यालय एवं 152 विकासखण्डों को दो लेन मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर।

(4) प्रदेश में 01 लाख 01 हजार किमी0 सड़कें गड्ढ़ामुक्त। 3618 किमी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया गया। 178 दीर्घ सेतुओं में 44 पूर्ण, 229 लघु सेतु एवं 73 रेल उपरिगामी सेतुओं का त्वरित गति से निर्माण कार्य प्रगति पर।

(5) पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के लिए 93 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण एवं बुन्देलखण्ड को जोड़ने के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय।

(6) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1000 हजार से अधिक एवं कालान्तर में 500 से अधिक आबादी के मजरों सर्वऋतु मार्ग से जोड़ कर 12 मार्गों पर आवागमन की सुविधा।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक के वित्त पोषण से उ0प्र0 जिला मुख्य सड़क विकास परियोजना का एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। इस परियोजना पर 2782 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।

23. पंचायतीराज :–

(1) **ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम** को बढ़ावा देने के लिए शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर। व्यक्तिगत शौचालयों को प्रदेश में **इज्जतघर** का नाम दिया गया।

(2) वित्तीय वर्ष 2018–19 में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 9182455 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।

(3) अब तक प्रदेश में 11 जनपद, 104 ब्लाकों, 27242 ग्राम पंचायतों तथा 55972 ग्रामों को पूर्णता खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया।

(4) पं0 दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार एवं नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार योजना संचालित।

24. पर्यटन :–

(1) स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत हेरीटेज सर्किट एवं स्पिरीचुअल सर्किट–1 एवं 2 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु भारत सरकार से रुपये 180.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। सभी स्थलों पर कार्य प्रारम्भ।

(2) प्रासाद योजना के अन्तर्गत वाराणसी में पर्यटन विकास के लिए रुपये 92.92 करोड़ धनराशि स्वीकृत। स्वीकृत 05 कार्यों (बुद्धा थीम पार्क, सांरगनाथ कुण्ड, मारकण्डेय महादेव घाट कैथी, मारकण्डेय महादेव मन्दिर कैथी एवं गुरूधाम टेम्पल) का समेकित पर्यटन का उद्घाटन एवं लोकार्पण मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्पन्न। मथुरा के लिए 24.28 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत, कार्य प्रगति पर।

(3) प्रदेश के विभिन्न प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर–राइड की सुविधा सुलभ कराने की कार्यवाही प्रगति पर।

(4) प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से घरेलू पर्यटन स्थलों का विकास स्थानीय जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने पर विशेष बल। इस कार्य पर 371.43 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा

(5) उ0प्र0 पर्यटन ब्राण्डिंग के लिए टैग लाइन ''यूपी नहीं देखा तो इण्डिया नहीं देखा'' तथा कुम्भ की टैग लाइन ''सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः अर्थात् कुम्भ सभी सिद्धियों का प्रदाता है'' जारी।

(6) इन्वेस्टर्स समिट में पर्यटन के 58 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित, रुपये 14803.79 करोड़ की धनराशि के प्रस्ताव निवेश हेतु प्राप्त।

25. ग्राम्य विकास :–

(1) **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के तहत 8.85 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 8.32 लाख आवासों का निर्माण। आवास निर्माण में **सम्पूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार** द्वारा **ग्राम्य विकास योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ पाये जाने पर उ0प्र0 पुरस्कृत।**

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना **(मनरेगा)** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 20 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 9.97 करोड़ मानव दिवसों का सृजन। रोजगार सृजन पर अब तक 2733.56 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय।

(3) राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 12135 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, 6105 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया तथा इन 3767 समूहों का निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1953.61 किमी0 लम्बी सड़कों के निर्माण के सापेक्ष अब तक 809.71 किमी0 सड़कों का निर्माण।

26. वन एवं पर्यावरण :–

(1) गंगा हरीतिमा अभियान 2018 का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इलाहाबाद में शुभारम्भ किया गया। गंगा नदी के किनारे स्थित बिजनौर से बलिया तक प्रदेश के 27 जिलों में अभियान चला कर दोनों किनारों से एक किमी0 दूरी के क्षेत्र में 09 करोड़ पौधों के रोपण का कार्य आरम्भ। वृक्षारोपण से प्रदेश का वनाच्छादन क्षेत्र में वृद्धि।

(2) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित 09 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष सम्पूर्ण प्रदेश में 15 अगस्त, 2018 को (एक दिन में) 9.66 करोड़ पौधरोपित किये गये। वन विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से कुल 11.71 करोड़ पौधे रोपित।

(3) पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पॉलीथीन के निर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। प्लास्टिक बैग के बिक्री एवं

भण्डारण पर 06 महीने का कारावास या कम से कम 10 हजार और अधिकतम 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान।

27. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास :–

(1) उत्तर प्रदेश दिवस पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रियो ओलम्पिक गेम्स में पदक विजेता पी0वी0 सिन्धु, साक्षी मलिक तथा दीपा करमाकर को एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी। 14 विशिष्ट खिलाड़ी लक्ष्मण/रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार देकर सम्मानित। **खेलो इण्डिया योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना के सृजन के लिए राज्य के 22 प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत।

(2) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला **उत्तर प्रदेश पहला राज्य।** प्रदेश की सभी असेवित तहसीलों में (79) में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए तथा भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 59 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खोले गए।

(3) गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली एवं बदायूं मण्डल आदि में 633 रोजगार मेले आयोजित कर 20 हजार नियुक्ति पत्र वितरित।

28. सूचना विभाग :–

(1) प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे जन कल्याणकारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर आधारित 07 दिन 07 पृष्ठ की **ई–संदेश पत्रिका** का प्रति सप्ताह प्रकाशन।

(2) लोकभवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित।

(3) प्रदेश के समस्त जनपदों में ब्लाक व तहसील स्तरीय लोक कल्याण मेलों का आयोजन करते हुए वर्तमान सरकार की नीतियों, योजनाओं का विशेष प्रचार–प्रसार किया गया।

(4) प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार व फीडबैक मैकेनिज्म को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से 'लोक कल्याण मित्र इन्टर्नशिप कार्यक्रम' के अन्तर्गत, आउटसोर्सिंग से 02 प्रदेश स्तरीय 'लोक कल्याण मित्र' एव प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में एक–एक 'लोक कल्याण मित्र' को रखे जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

29. विविध :–

(1) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत पाइप लाइन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय।

(2) बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 07 जनपदों में पहले से स्थापित 3815 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग तथा 1174 नये हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु 40.55 करोड़ रुपये की कार्ययोजना स्वीकृत।

(3) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों, लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन में 05 हजार रुपये की वृद्धि करते हुए 20176 रुपये व 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश जारी।

(4) अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ जनपद इलाहाबाद एवं फिरोजाबाद में अधिवक्ता चैम्बर निर्माण हेतु एक–एक करोड़ रुपये स्वीकृत।

(5) नमामि गंगे परियोजना के तहत इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट–सी एवं मुरादाबाद के कार्य को जून, 2018 में पूर्ण। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट–ए, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट–बी, सीसामऊ कानपुर परियोजनाओं को कुम्भ मेले से पूर्व अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।

(6) प्रयाग कुम्भ–2019 के आयोजन से पहले गंगा को स्वच्छ बनाने का काम युद्धस्तर पर प्रारम्भ।

(7) खनन पट्टे के आवंटन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रदेश में अब सभी खनिज पदार्थों के खनन पट्टे ई–आक्शन के माध्यम से नीलाम करने की व्यवस्था।

(8) एंटी भू–माफिया अभियान के अन्तर्गत कुल 53560.98 हे0 क्षेत्र भूमि अतिक्रमणमुक्त, अभियान के तहत 20529 राजस्व वाद, 724 सिविल वाद तथा 3397 एफआईआर दर्ज।

(9) प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 4.87 करोड़ खाते खुले। इसके सापेक्ष 3. 85 करोड़ खातों को रुपे डेबिट कार्ड जारी। इनमें से 3.53 करोड़ खातों को आधार कार्ड से जोड़े गये।

(10) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 48.68 लाख, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1.22 करोड़ एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 14 लाख व्यक्ति पंजीकृत।

(11) मुद्रा योजना के तहत 117.83 लाख लाभार्थियों को 51650 करोड़ रुपये के ऋण वितरित।

(12) पं0दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेलों को प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत तथा मण्डल स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। मेले में कम से कम 100 और मण्डल के जनपदों में 1000 पशुओं को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा।

(13) होमगार्डस् स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता रुपये 375 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन। होमगार्डस् कल्याण कोष की धनराशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।

.....